न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, जमुई

एस0सी0 / एस0टी0 काण्ड संख्या : 46 / 2024

उपस्थित : **सत्यनारायण शिवहरे**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति, व्यवहार न्यायालय, जमुई।

बिहार राज्य द्वारा सूचिका सुशीला देवी,

बनाम

1. सुमन झा, उम्र 24 वर्ष, पिता–उदयकांत झा,
निवासी ग्राम–चन्द्रशैली, थाना–खैरा, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504, 376 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से – श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,
सूचिका की ओर से – श्री राज कुमार प्रवीण विद्वान अधिवक्ता,
बचाव पक्ष की ओर से – श्री रंजीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता

दिनांक :–01.04.2026

निर्णय

1. कांड की सूचिका सुशीला देवी पति स्व0 सुकदेव रविदास, निवासिनी ग्राम बड़ाबांध के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना खैरा को दिये गये लिखित आवेदन पर थाना खैरा में प्राथमिकी संख्या 100 / 2024 के रूप में भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504, 376 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–274 / 2024 भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504, 376 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। परिणामस्वरूप इस मामले में इस विशेष न्यायालय ने अभियुक्त सुमन झा के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के लिये मामले में संज्ञान लिया।

2. कांड की सूचिका सुशीला देवी द्वारा थाना खैरा को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–14.03.2024 को समय करीब 10:00 बजे रात्रि में वह अपने घर में सो रही थी। सुमन झा पुत्र–उदयकांत झा निवासी ग्राम चंद्र शैली उसके मकान की अर्द्ध निर्मित दीवाल से कूदकर उसके घर में प्रवेश कर गया। कूदने की आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा तो अचानक उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने लगा। वह हल्ला करना चाही तो मुंह दबाकर हरामी, चमाइन कहते हुए बोला, जो कर रहा हूं, करने दो। झटपटाने पर बेरहमी से मारपीट करने लगा, जिससे मुंह, गर्दन संहित कई जगह वह घायल हो गई तथा

बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो लगभग 6:00 बजे सुबह दर्द से परेशान होकर रोने लगी। आवाज सुनकर पड़ोसी आए, सारी बात बताने पर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गयी। आरोपी सुमन झा को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जमुई सदर अस्पताल रेफर किया गया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2024 को भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504, 376 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 9 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. अर्जुन रविदास, 2. मालती देवी, 3. निर्मला देवी, 4. सुशीला देवी (स्वयं परिवादी) 5. कुशमा देवी, 6. डॉ0 स्वेता कुमारी सिंह, 7. डॉ0 नवल किशोर, 8. डॉ0 मोनिका रंजन झा, 9. नीलम कुमारी (कांड की अनुसंधानकर्ता) है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घ ाटना से इंकार किया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को असत्य होना एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

6. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिये कुल 2 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। बचाव साक्षी संख्या 1 मोहित कुमार झा एवं बचाव साक्षी संख्या 2 शंकर रावत है।

मंतव्य (Findings)

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 अर्जुन रविदास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना 14 मार्च, 2024 को 10 बजे रात्रि की है। एक महिला, जिसका नाम सुशीला देवी है, के साथ मारपीट तथा बलात्कार हुआ था। **बलात्कार करने वाले का नाम सुशीला देवी ने उसे सुमन झा बताया था।** हल्ला करने पर सुमन झा ने सुशीला देवी के साथ मारपीट किया और चमईन कहकर गाली दी थी, **यह सब उसे सुशीला देवी ने सुबह में बताया था।** साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सुमन झा को पहचाना। **इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही (Hostile) घोषित किया गया।** अभियुक्त की ओर से की गयी **प्रति परीक्षा (Cross examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त चंद्रशैली गांव का रहने वाला है तथा वह बड़ाबांध गांव के रहने वाला है। दोनों गांव के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पीड़िता रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। **घटना उसने देखी नही, सुबह में सुशीला देवी ने बताया था। आज न्यायालय में जो कहा, वह सुशीला देवी ने बताया है। पुलिस ने उसका बयान नही लिया था।**

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 मालती देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना 14 मार्च, 2024 समय रात 9–10 बजे के बीच की है। उस समय वह अपने घर में थी। सुशीला देवी का रात में बलात्कार हुआ। उसका बलात्कार समुन झा ने किया था। **साक्षी आगे कहती है कि सुबह उठे तो सुशीला देवी को रोते हुए देखा तो वह उसे देखने के लिए गई। जब उसने पूछा कि ''आपके साथ क्या हुआ? तो वह बोली कि रात में उसके साथ एक लड़के ने बलात्कार किया, जिसका नाम सुमन झा है। वह अगल बगल के लोगों को बुला नहीं सकी, क्योंकि उसके साथ मारपीट किया था तथा होठ दबा दिया था।'' वह कुछ नहीं बोल सकी।** साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सुमन झा को पहचाना। **प्रतिपरीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसका घर ग्राम बड़ाबांध है तथा अभियुक्त का घर ग्राम चन्द्रशैली में है, दोनों गांव अगल–बगल में ही है। वह चन्द्रशैली गांव बराबर जाती है। वह बराबर सुमन झा को चन्द्रशैली में देखती थी। **घटना के बारे में उसे सुशीला देवी ने बताया था। उसका घर आगे है तथा सुशीला का घर पीछे है। घटना के बारे में उसे सुबह 6 बजे पता चला। पुलिस ने उससे सुशीला देवी के घर पर ही पूछताछ की थी। सुशीला देवी रिस्ते में उसकी गोतनी लगती है। सुशीला देवी उससे उम्र में करीब 40 साल बड़ी है। सुशीला देवी का उम्र उसके अंदाज से 75 साल होगी। आज उसे न्यायालय में सुशीला देवी की समधन लेकर आयी है। उसके सामने कोई घटना नहीं घटी थी।**

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 निर्मला देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना 14 मार्च, 2024 की है। घटना रात के 10 बजे की है। उस वह अपने घर में थी। सुशीला देवी के साथ सुमन झा ने बलात्कार किया था। **दिनांक–15.03.2024 को सुशीला रो रही थी तो वह उसके घर पर गई तो उसने सुशीला देवी को जख्मी हालत में देखा।** उसने (सुशीला देवी ने) कहा सुमन झा ने रात्रि में घर फांदकर उसके साथ बलात्कार किया तथा चमईनी कहकर गाली भी दिया। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सुमन झा को पहचाना। **प्रतिपरीक्षा (Cross examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि वह पांचवीं तक पढ़ी लिखी है। उसके दो लड़के एवं एक लड़की है। उसे बड़े लड़के की जन्म तिथि याद नहीं है। वह अपनी जन्म तिथि भी नहीं जानती है। वह आज सकल देव रविदास एवं सुशीला देवी की समधन के साथ गवाही देने आयी है। **सुशीला देवी ने खुद बताया था कि ''उसके साथ सुमन झा ने बलात्कार किया है''।** उसने सुमन झा को पहले दुकान में देखा था तथा बड़ाबांध में भी देखा था। सुशीला देवी उसके गांव घर की गोतनी है। **सुशीला देवी उम्र में उससे 10–20 साल बड़ी होगी। उसकी (साक्षी की) उम्र लगभग 50 वर्ष है।** सुशीला देवी से उसका घर एक खेत के आगे पीछे है। वह सुशीला देवी के घर 8 बजे दिन में गयी थी। उस दिन सुशीला देवी किस रंग की साड़ी पहने हुई थी, याद नहीं है। ऐसे ही बैठे हुई थी, नहाई नहीं थी। **उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था।** पुलिस उसी दिन शाम को सुशीला के घर पहुंची थी। आज से पहले थाने में उसकी गवाही हुई थी तथा न्यायालय में आज पहली बार गवाही दी है। उसे थाना में सुशीला की समधन लायी थी। सुशीला की समधन कहा की रहने वाली है, वह यह नहीं जानती है। सुशीला की समधन को किसने खबर दिया, वह नहीं जानती है। **सुशीला देवी ने उसे जो बताया वही उसने न्यायालय में बताया है। उसने अपनी आंखो से कुछ नहीं देखा है। यह केस सकलदेव रविदास एवं सुशीला देवी ने कराया**

होगा। आज उसे सकलदेव रविदास लेकर आया है। आज से दो तीन साल पहले अभियुक्त सुमन झा के चाचा स्व0 सुजीत झा और सकलदेव रविदास के बीच मोबाईल चोरी को लेकर झगड़ा हुआ था कि नहीं, वह नहीं जानती है। उसने नहीं देखा था कि सुमन झा बड़ाबांध के पास साईकिल चलाने जाता था। ऐसी बात नहीं है कि सुमन झा साईकिल चलाने बड़ाबांध जाया करता था उसी क्रम में साईकिल से सुशीला देवी को चोट लग गयी तो उसी घटना को लेकर सकलदेव रविदास ने पुरानी दुश्मनी मिटाने के लिए सुशीला देवी से केस करवाया है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या 4 सुशीला देवी (कांड की सूचिका एवं कथित पीड़िता)** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह **घटना करीब एक साल पहले समय करीब 11 बजे रात्रि की है। उस समय वह अपने घर में अकेले सो रही थी तब उसे पटकर कर सुमन झा ने उसकी इज्जत ले ली और गला दबाया। जमीन पर पटकर हाथ मरोड़ दिया, इसके बाद उसे होश नहीं रहा। चमईन चुप रहो उसे करने दो।** अगले दिन सुबह जब उसे होश हुआ तो वह हल्ला करने लगी तो सब आदमी मिलकर उसे खैरा अस्पताल ले गये, जहां उसे पांच बोतल पानी चढ़ा। सुमन झा ने कहा था कि हल्ला नहीं करना, कल फिर आएंगे। लिखित आवेदन उसने थाना में दिया था जिस पर उसके अंगुठे का निशान है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सुमन झा को पहचानती है। **प्रतिपरीक्षा (Cross examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसका घर बड़ाबांध है। अभियुक्त किस गांव का है वह नहीं जानती है। **उसे दो बेटे हैं एवं एक भी बेटी नहीं है। उसके बड़े बेटे की उम्र लगभग 40 वर्ष होगा। उसकी उम्र लगभग 60–70 साल होगी। उसे कुल तीन पोता और पोती है। उसके बड़े पोता का नाम रिशव कुमार है जिसकी उम्र 4 वर्ष है** तथा दोनों पोती का नाम याद नहीं है। उसके दोनों बेटे का नाम खीरू दास एवं नीरू दास है। पुतोह का नाम नहीं बता सकती है। बेटा एवं पुतोह से अच्छा संबंध है। उसके घर के अगल बगल के किसी का नाम नहीं बता सकती है। **इस केस का आवेदन शकलदेव दास ने लिखा था। शकलदेव दास गांव–टोला का भैंसूर है। शकलदेव दास पर मात्र एक केस है, जो सुमन झा ने किया था इसके अलावा वह नहीं जानती है।** शकलदेव दास ने उससे सुमन झा पर केस करवाया है उस में किसका किसका नाम गवाह के रूप में दिया है, वह नहीं जानती है। **सुमन झा के साईकिल से चोट लगा तो वह दस दिन बेहोश रही थी।** सुमन झा के साईकिल से सिर्फ उसे चोट लगा था, जिसका इलाज कराया था। अब चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल दर्द होता है। जब उसने यह केस किया तो सुमन झा से उससे और सकलदेव दास को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। साईकिल से चोट लगने का जुर्माना दिया था, लेकिन उसे पता नहीं की कितना दिया था। शकलदेव ने जो केस कराया था उसका दिन तारीख नहीं कह सकती है। शकलदेव दास ने उसे खैरा अस्पताल में दिखाया था और वहां उसे चार दिन के बाद होश आया था। होश आने के बाद देखा तो अपना हाथ और पैरा टूटा हुआ पाया। उसे होश आने के बाद उसने अपना खून लगा साया, साड़ी ब्लाउज, दरोगा जी को दिया था तथा उस पर उसने और सकलदेव ने अपना अपना हस्ताक्षर भी किया था। उसे सकलदेव ने बताया था कि उसने उसके नाम पर दरोगा जी के यहां केस कर दिया है और उसके (साक्षी के) बदले टिप्पा दिया है। उसके बाद उसे कभी पुलिस के पास नहीं ले गया और सकलदेव ही सब कुछ करता है। उसके घर के उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम में किसका घ ार है, नहीं कह सकती है। उसका घर पक्का का बना हुआ है जिसमें लोहा का केवाड़ लगा हुआ है। केवाड़ी खोलने के बाद ही घर के अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। सकलदेव आज गवाही

दिलाने के लिए लाये है तथा उन्हीं की बातों को मानकर उसने गवाही दी है। सकलदेव उसके टोले का मानीनदा व्यक्ति है और उसकी बात सब लोग मानते हैं। सुमन झा के अलावा सकलदेव दास ने उससे कोई केस नहीं कराया है। ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटी है बल्कि सकलदेव दास द्वारा झूठा केस कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 5 कुशमा देवी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 14.03.2024 की है। उस समय वह अपने घर ग्राम घोरपारन में थी। **गांव वालो ने उसे सूचित किया कि उसकी बेटी के घर में सुमन झा ने उसकी समधन सुशीला देवी का बलात्कार किया। फिर वह अपनी बेटी के ससुराल बड़ाबांध आयी, तो समधन ने रोते हुए बताया कि सुमन झा ने उसके साथ 10 बजे रात्रि में गला दबाकर बलात्कार किया। आज न्यायालय में अभियुक्त सुमन झा उपस्थित है। प्रतिपरीक्षा (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि इस केस की सूचिका उसकी बेटी की सास है। उसकी बेटी का नाम काजल कुमारी है। उसकी बेटी काजल कुमारी मायके में थी। गांव वालों ने उसको फोन किया था। सूचना पाकर वह, उसकी बेटी काजल, सुशीला की छोटी पुतोह, तथा उसकी माँ सुशीला के घर पहुंचे। वे लोग जब पहुंचे तो सब लोग मिलकर सुशीला देवी को थाना ले गये और सुशीला को लेकर थाने हम सभी तथा गांव के लोग गये थे। थाना में दरखास्त सकलदेव ने लिखकर दिया था। इस दरखास्त पर उसने, उसकी बेटी काजल एवं काजल की गोतिनी का हस्ताक्षर है।** जब वे लोग गये तो वह बेहोश थी और पानी छिटा तो उसे होश में आया। वे लोगों सुशीला देवी को थाना टोटो से ले गये थे। खैरा थाना गये तथा वहां से खैरा अस्पताल में सुशीला देवी को ले गये थे। सुशीला देवी को खैरा थाना में होश आ गया था। अस्पताल जब लाया गया, सुई चढ़ा और पानी चढ़ा तो होश हुआ। सुशीला देवी अस्पताल में सुबह से शाम तक भर्ती रही थी। वह खैरा अस्पताल से जमुई अस्पताल आयी, उसके बाद वह अपने घर रात में गई थी। जमुई अस्पताल में पानी एवं सुई नहीं चढ़ा था। दरोगा जी ने अपनी गाड़ी से उन लोगों को उनके घर बड़ाबांध पहुंचाया था तथा गाड़ी में सकलदेव भी था। सकलदेव ने उनको यह कभी नहीं कहा कि गवाही देने के लिए चलो। दरोगा जी ने उसी दिन उससे पूछताछ किया था और उसका दस्तखत कराया था। ऐसी बात नहीं है कि उसने पुलिस को कभी गवाही नहीं दी है। ऐसा भी नहीं है कि उसने अपनी समधन के बहकावे तथा सकलदेव के कहने पर इस केस में झूठी गवाही दी है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या 6 डॉ0 स्वेता कुमारी सिंह** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि On 15-03-2024, She was posted at Sadar Hospital, Jamui as a medical officer. On same very day a victim lady namely Sushila Devi W/o- Late Sukhadev, R/O- Barabandh, P.S.- Khaira, Dist.- Jamui was produced before her by Mahila Chaukidar 13/2 Lal Pari Devi for medical examination and examination is as follows:-

Physical Examination:-

1. Mark of idenfication:-

I. Two moles on right cheek

II. A mole above left Eyebrow

2- Lower lip swollen and blood clots seen over lip. Brusies present all around neck. No injury on external and internal genitila.

3- Axillary hairs absent. Pubic hairs present. Breasts developed.

4- She is Para 0+0

5- P/A- soft

6- P/V- hymen ruptured.

7- Incident happened on 14-03-2024 night clothes change.

Lab findings:-

1- UPT- Negative

2- USG shows atrophied uterus

3- Vaginal swab smear examination done by dr. Monika Ranjan Jha shows no spermatozoa, no RBC, an epitheal cell seen.

All report attached.

Conclusition- Victim had undergone sexual intercourse.

This Swab Report is in her handwriting and it bears her signature. It is exhibited P-1/P.W.-6.

Cross examination - Lower lip swelling may be caused by fall. No tear was found in her lip. Blood clots were over the lip and clots source is not mention. Bruise may be self inflected. Absence of axillary hair may be by birth or by shaving. She has mention in her injury report P 0+0 which means she never concieved. Hymen ruptured was old or new not mentioned. It is not correct to say that her injury report is not scientific.

13. **अभियोजन साक्षी संख्या 7 डॉ0 नवल किशोर** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि On 15-03-2024, He was posted at Community Health Center, Khaira as a medical officer. On same very day a victim lady namely Susheela Devi W/O- Late Sukhadev, R/O- Barabandh, P.S.- Khaira, Dist.- Jamui was produced before him by Mahila Chaukidar 13/2 Lal Pari Devi for medical examination. **He physically examined and referred her to Sadar Hospital, Jamui** because victim was lady and there was no lady medical officer in his health center. His examination report is as follows:

1- **Abrasion on lower lip.**

2- Whole body pain.

MI- A mole on below left eye brow.

Age of injury within 12 hours and can be caused by hard and blunt object. This injury report in his hand writing and bear his signature.

Cross examination - Abrasion may be due to fall. He has not mentioned dimention and colour of abarasion. Pain is not an injury. He has received the report of vaginal swab smear examination from phythology. **Injury is superficial.**

14. **अभियोजन साक्षी संख्या 8 डॉ0 मोनिका रंजन झा** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि On 15-03-2024, She was posted at Sadar Hospital, Jamui as a medical officer. On same very day two slide received at 2:25 p.m. and smear fixed by gentle heat and unstained smear examination under high power magnification was done. On microscopic examination following findings were noted :-

i- No spermatozoa found in any field of microscope.

ii- No RBC found in any field of microscope.

iii- An epithelial cell seen in one field.

This Swab Report is in her handwriting and it bears her signature. It is exhibited P-3/P.W.-8.

Cross examination -Her report is scientific, which proves that rape was not committed with lady Susheela Devi.

15. **अभियोजन साक्षी संख्या 9 नीलम कुमारी (अनुसंधानकर्ता)** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि दिनांक–15.03.2024 को वह खैरा थाना में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत थी। थानाध्यक्ष ने उसे खैरा थाना कांड सं–100/2024 का अनुसंधान का प्रभार सौंपा। अनुसंधान ग्रहण करने के पश्चात उसने कांड दैनिकी में प्राथमिकी अंकित की एवं कांड की सूचिका सुशीला देवी का पुनः बयान लिया। सूचिका ने अपने बयान में घटना का पूर्ण समर्थन किया था। सूचिका का पुनः बयान उसने कांड दैनिकी के पैरा–2 में दर्ज किया है। **इस कांड के अभियुक्त को 112 नं0 की पुलिस द्वारा थाना लाया जा चुका था, जिसे उसने गिरफ्तार किया।** यही वह अभियुक्त सुमन झा का गिरफ्तारी मेमो0 है, जो उसके लेख एवं हस्ताक्षर में है, जिसे पहचानती है। इसे **प्रदर्श P-3/P.W.9** के रूप में ग्राहय किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गयी। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। कांड की सूचिका एवं साक्षी के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कांड का घटनास्थल खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ाबांध में वादनी (पीड़िता) सुशीला देवी का छतदार कर्कट एवं खपरेल से छाया हुआ ईंट मिटी से बना घर है, जिसका रूख पश्चिम तरफ है। दरवाजा से अंदर जाने पर सामने वादनी (पीड़िता) का खपरैल मिट्टी से बना घर है। इसके बाद दाहिने से अंदर जाने पर सामने आगे बरामदा है, जो कर्कट से छाया है जिसके दक्षिण में उत्तर रूख का दो छतदार कमरा है, बाये तरफ का एक कमरा

जिसका दरवाजा लोहे का बना है। इसी कमरा में वादनी (पीड़िता) के साथ मारपीट एवं बलात्कार करने की बात बतायी गयी है। इस कमरा के दक्षिण में भुनेश्वर सिंह का परती जमीन, उत्तर में वादिनी के घ ार का बरामदा एवं सीढ़ी, जो पक्का का है। पूरब में वादनी (पीड़िता) घर के दीवार के बाद डिलो रविदास पे0 बैजू रविदास का खेतिहर जमीन एवं पश्चिम में पीड़िता का एक कमरा है तथा कमरा के बाद पीड़िता का निज जमीन है। साक्षी अर्जुन रविदास, निर्मला देवी, मालती देवी, कुसमा देवी का बयान लिया जिन्होंने घटना का समर्थन किया। इस कांड की वादनी (पीड़िता) का चिकित्सीय जांच कराने हेतु प्रस्थान किया। सदर अस्पताल जमुई पहुचे तथा चिकित्सीय जांच कराने हेतु चिकित्सा पदाधिकारी को अनुरोध पत्र दिया। इस कांड के वादनी (पीड़िता) का चिकित्सीय जांच पश्चात महिला चौकीदार 13/2 लालपरी देवी के साथ थाना के लिए प्रस्थान किये। गिरफ्तार अभियुक्त सुमन झा को न्यायालय में उपस्थापन कराने एवं वादनी (पीड़िता) का दं0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने हेतु उचित मार्गरक्षण में न्यायालय के लिये प्रस्थान की। वादनी (पीड़िता) की द0प्र0स0 की धारा 164 का बयान दर्ज कराने हेतु एक आवेदन न्यायालय को समर्पित किया। समर्पित आवेदन के आधार पर न्यायालय में वादनी (पीड़िता) का दं0प्र0स0 की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया। वादिनी का चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जो कांड दैनिकी के पैरा–38, 39, 40 में अंकित है तथा चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन कांड दैनिकी के साथ संलग्न है, जो कांड दैनिकी के पृष्ट सं0–10, 11, 12 में है। **कांड की वादनी (पीड़िता) का उम्र का सत्यापन आधार कार्ड से किया जिसके अनुसार वादनी (पीड़िता) का जन्म तिथि दिनांक–01.01.1968 है, जो कांड दैनिकी के पैरा–44 में अंकित है।** अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई का पर्यवेक्षण टिप्पणी सह अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसे उसने कांड दैनिकी के पैरा–53 में अंकित किया। पुलिस अधीक्षक, जमुई का प्रतिवेदन–2 सह अंतिम आदेश प्राप्त हुआ, जिसे उसनें कांड दैनिकी के पैरा–58 में अंकित किया। अब तक के अनुसंधान, घटनास्थल का निरीक्षण, सूचिका एवं साक्षियों का बयान, प्राप्त चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन तथा पर्यवेक्षण के क्रम में आये तथ्यों के समग्र विश्लेषण से यह कांड धारा 452, 341, 323, 504, 376 भा0द0वि0 एवं 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त सुमन झा पे0 उदयकांत झा, साकिन चन्द्रशैली, थाना–खैरा, जिला जमुई के विरूद्ध सत्य पाया। अतः अनुसंधानोंपरांत एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार इस कांड में धारा 452, 341, 323, 504, 376 भा0द0वि0 एवं 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त सुमन झा पे0 उदयकांत झा, साकिन चन्द्रशैली, थाना–खैरा, जिला जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–274/24 दिनांक–10.05.2024 समर्पित किया। यह वही आरोप पत्र है, जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे वह पहचानती है। इस पहचान पर आरोप पत्र का लेख एवं हस्ताक्षर **प्रदर्श P-4/P.W.9** अंकित किया गया। लिखित आवेदन (F.I.R.) में पृष्ठांकन थानाध्यक्ष खैरा शषिभूषण कुमार के द्वारा लेख्य एवं हस्ताक्षर में है, जिसे वह पहचानती है इस पहचान पर लेख एवं हस्ताक्षर को **प्रदर्श P-5/P.W.9** अंकित किया गया है। यह औपचारिक प्राथमिकी सी0सी0टी0एन0एस0 ऑपरेटर के द्वारा टंकित किया गया है, जिस पर खैरा थानाध्य क्ष का हस्ताक्षर है, जिसे वह पहचानती है। इस पहचान पर हस्ताक्षर **प्रदर्श P-6/P.W.9** अंकित किया गया। जिस अभियुक्त को उसने गिरफ्तार किया था वह आज न्यायालय में उपस्थित है, जिसे वह पहचानती है। **प्रतिपरीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसने दिनांक–20.03.2023 से 24.04.2024 तक प्रशिक्षु दरोगा के रूप में काम किया था। प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को

प्रशिक्षण दिया जाता है कि डायरी कैसे लिखा जाता है और अनुसंधान कैसे किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही इस कांड का अनुसंधान उसने किया था। इस अनुसंधान में उसका कोई सहयोगी नियुक्त नहीं हुआ था। अनुसंधान उसने दिनांक–15.03.2024 को ग्रहण किया था लेकिन समय नहीं बता सकती है। वह कम्प्यूटर चलाना जानती है। वह कम्प्यूटर लेकर घटनास्थल पर नहीं गई थी। उसने कांड दैनिकी को थाना पर टाईप किया था। कम्प्यूटर का पहला अल्फाज याद नहीं है। वादी का बयान उसने थाना पर लिया था। वादिनी से उसकी मुलाकात कितना बजे हुयी थी, समय याद नहीं है, लेकिन थाना पर मुलाकात हुयी थी। उसने देखा नही कि वादिनी के शरीर पर कहां कंहा जख्म या सूजन (Swelling) था। वादिनी ने उसे साया, साड़ी नहीं दिया था। वह (वादिनी) उसके पास स्नान करके आयी थी। वादिनी (सूचिका) उसके पास आयी थी तो होश में थी। **वादिनी के आने बाद उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, लेकिन समय याद नहीं है।** अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद उसने उसका चिकित्सीय जांच नहीं कराया था। उसने अभियुक्त का कपड़ा जब्त नहीं किया था। उसके पास से किसी प्रकार का कोई आपतिजनक समान बरामद नहीं हुआ था। **अभियुक्त का उसके थाना में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।** वादिनी के घर का मेन गेट का उल्लेख उसने अपने कांड दैनिकी में नहीं किया था। वादिनी के घर में कुल दो कमरा है। दोनों छतदार कमरा है। जिस कमरे में वादिनी सोयी हुई थी, वहां केवाड़ लोहे का लगा हुआ था। पीड़िता के घर में बाहर से उसके छत पर चढने का कोई साधन नहीं मिला था। **घटनास्थल पर उसने किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं पाया गया था, क्योंकि कमरा को धो दिया गया था लेकिन उसने इस बात को कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया है।** घटनास्थल पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं पाया गया था। **घटनास्थल पर चुड़ी का टुकडा या कान की बाली नहीं पाया गया था।** घटनास्थल पर किसी प्रकार का कोई खून का बुंद नहीं पाया गया था। घटनास्थल के अगल बगल के लोग वहां उपस्थित नहीं मिले इसलिए वह उन लोगों का बयान नहीं ले सकी थी। इस बात का उल्लेख उसने पारा–12 में जिक्र किया है। **पीड़िता के अतिरिक्त किसी ने यह नहीं कहा था कि घटना को देखा है।** उसने पीड़िता के घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख अपनी कांड दैनिकी में नहीं किया है। पीड़िता का घर ग्राम बड़ाबांध है। अभियुक्त का घर ग्राम चन्द्रशैली है। बड़ाबांध और चन्द्रशैली के बीच की दूरी लगभग पांच किलोमीटर होगी। अभियुक्त को उसने थाना पर ही गिरफ्तार किया था। पीड़िता का दं0प्र0स0 की धारा 164 का बयान कराने के लिए थानाध्यक्ष ने निर्देश दिया था। यह निर्देश मौखिक था, जिसका उल्लेख कांड दैनिकी में नहीं किया है। साक्षी से प्रश्न किया गया कि दं0प्र0स0 की धारा 164 का बयान कराने के लिए पीड़िता को कहां कंहा ले गये? उसने उत्तर में कहा कि इस बयान से पूर्व चिकित्सीय जांच हेतु पीड़िता को अस्पताल लाया गया फिर थाना ले गये जहां महिलाकर्मी की सुरक्षा में रही तथा अगले दिन दं0प्र0स0 की धारा 164 बयान हेतु न्यायालय लाया गया। अभियुक्त एवं वादिनी/पीड़िता को एक दिन ही न्यायालय में लाये थे किंतु साथ साथ नहीं लाये थे। दोनों को अलग अलग वाहनों में लाया गया था और दोनों लोग एक साथ थाने से प्रस्थान किये थे। घटनास्थल का मानचित्र नहीं बनाया था। उसने कमरे की लम्बाई चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया। उसने वादिनी के कपड़े का उल्लेख किया है। यह उल्लेख कांड दैनिकी के पैरा–24 में किया है। उसने पैरा–24 में लिखा है कि कुसमा देवी ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता के अंग वस्त्र को धो दिया गया है एवं पीड़िता को स्नान करा दिया गया है। पूछताछ के क्रम में यह भी बताया गया कि जिस कमरे में घटना हुई थी उस कमरे को भी धो दिया गया है। वादिनी के धोये हुए कपड़े वादिनी या वादिनी के परिवार के सदस्यों ने नहीं दिया था। कुसमा देवी ग्राम–घोडपाड़ी, थाना–लक्ष्मीपुर की है। कुसमा देवी वादिनी की समधिन है। **वादिनी का बेटी, बेटा, भाई**

उसके पास नहीं आया था। ऐसी बात नहीं है कि उसने घटनास्थल पर जाकर अनुसंधान नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि उसने वरीय पदाधिकारी के कहने पर थाने पर बैठकर कांड दैनिकी तैयार किया।

16. **बचाव साक्षी संख्या 1 मोहित कुमार झा** ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief)** में कथन किया है कि वह इस मुकदमा के दोनों पक्षों को जानता है। यह मुकदमा सुमन झा पर सुशीला देवी ने किया था। यह मुकदमा सुशील देवी से सकलदेव दास ने करवाया था। वह बड़ाबांध के तरफ से भामाईन कोचिंग जा रहा था। उसके साथ सुमन झा भी साईकिल चलाने जा रहा था। **उधर से सुशीला देवी आ रही थी तो सुमन झा के साईकिल से सुशीला देवी को गलती से टक्कर लग गयी। सुशीला देवी गिर गयी, जिसके कारण उसका मुंह छिला गया।** उसके 5–6 मिनट बाद ग्रामीण, जो रविदास टोला के थे, जूट गये और सुमन झा के साथ लप्पड़–थप्पड़ करने लगे। सुमन झा बोला कि ईलाज करा देते है। फिर वहां से सुमन झा घर की ओर चला गया और वह पढ़ने चला गया। उसके बाद वह पढ़कर घर पहुंचा तो पता चला कि सुमन झा पर बलात्कार का मुकदमा सुशीला देवी, सकलदेव के कहने पर की है। वहां सें आने पर सुमन झा घर में सो रहा था तभी पुलिस आकर उसे पकड़कर लेकर चली गयी। सुमन झा के चाचा सुजीत झा और सकलदेव दास में मोबाईल के चोरी के बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी बात को लेकर झूठा मुकदमा करवा दिया था। **सुमन झा थोड़ा दिमाग से कमजोर लड़का है और इस मुकदमा के अलावा कोई और मुकदमा उस पर नही है**। सकलदेव दास को जानता है, वह वर्तमान में वार्ड सदस्य है, इसके अलावे और लोगों पर भी उसने मुकदमा किया है और करवाया है। ऐसा सुनने में आया है कि सकलदेव दास, सुमन झा की मां से मामले में समझौता करवाने के लिये 10 लाख रूपया मांगा था। **प्रतिपरीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि सुमन झा और उसका नानीघर झाझा है, इसलिये जान–पहचान हुआ। सुमन झा का घर और उसका घर चंद्रशैली है। यह घटना जब घटा था, उस समय वह 12वीं में था। अभी वह विज्ञान से स्नातक कर रहा है और वह अभी प्रथम वर्ष में है। वह एस0सी0 एस0टी0 46/2024 में गवाही देने आया है। उसे गवाही के लिये नोटिस नहीं गया था। सुमन झा की मां ने कहा कि गवाही देना है। वह सुबह 5 या साढ़े 5 के बीच पढ़ने गया था। पढ़कर वह 07.30 बजे सुबह लौट कर आ गया। शायद 15 मार्च का दिन था। उसके बाद क्या–क्या घटना घटी, उसे नही पता है। ऐसी बात नही है कि रिस्तेदार होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

17. **बचाव साक्षी संख्या 2 शंकर रावत** ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief)** में कथन किया है कि इस मुकदमा के दोनों पक्षो को वह जानता है। यह मुकदमा सकलदेव दास की भौजाई ने सुमन झा पर किया था। यह बलात्कार का झूठा मुकदमा है। **केस करने के चार साल पहले सुमन झा के चाचा छोटू झा एवं सकलदेव रविदास के बीच मोबाईल चोरी को लेकर झगड़ा हुआ था।** सुमन झा के चाचा का मोबाईल चोरी हुआ था। **पंचायत में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था।** समझौता होने के बाद सुमन झा साईकिल चलाकर बड़ाबांध होते हुये भामाइन कोचिंग जा रहा था। साईकिल से जाने के क्रम में सकलदेव रविदास की भौजाई को चोट लग गया, उसी कारण से यह केस हुआ है। इसके अलावे सकलदेव दास ने पूर्व मुखिया रामरूप यादव के ऊपर हरिजन एक्ट का केस किया है। यू ही केस करता रहता है। इसका यही काम है। सुमन झा से समझौता करने के लिये सकलदेव दास ने पैसे की मांग की थी। इसका यही काम है, केस करना

और रूपया लेकर समझौता करना। **प्रतिपरीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसे गवाही देने हेतु कोई नोटिस नही मिला था। सुमन झा की मां के कहने पर वह गवाही देने आया है। सुमन झा साईकिल चलाकर बड़ाबांध होते हुये भीमाईन जा रहा था तो सकलदेव रविदास की भौजाई को, जो चोट लगा था, उसी चोट का मुकदमा हुआ था।

18. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504, 376 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

19. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के क्रम में कथन किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त अपने विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504, 376 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(va) के आरोप के लिए दोषसिद्ध (Convict) किये जाने के योग्य है।

20. उपरोक्त के विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का बहस क्रम में कथन है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। वास्तविकता यह है कि यह मुकदमा (Case) झूठा है। सकलदेव रविदास ने अभियुक्त के चाचा से मोबाइल चोरी के अपराध के लिये हुये विवाद के कारण साइकिल से हुई टक्कर के कृत्य को बलात्कार के अपराध में परिणित कर यह काण्ड दर्ज करवाया है, जिसकी पुष्टि बचाव साक्षियों के साक्ष्य एवं स्वयं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त (Acquital) के योग्य है।

21. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 14.03.2024 को अभियुक्त सुमन झा, सूचिका सुशीला देवी के घर की दीवाल को फांद कर उसके घर में घुस गया। कूदने की आवाज सुनकर सूचिका ने इधर–उधर देखा तो अभियुक्त सुमन झा ने अचानक उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और जबरजस्ती उसके साथ बलात्कार करने लगा। वह हल्ला करना चाही तो मुंह दबाकर हरामी, चमाईन कहते हुये बोला, जो कर रहा हूं करने दो। छटपटाने पर बेरहमी से मारपीट करने लगा, जिससे वह मुंह, गर्दन और अन्य जगह जख्मी हो गयी और बेहोश हो गयी। उल्लेखनीय है कि **अभियोजन साक्षी संख्या 1 अर्जुन रविदास ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने घटना अपनी आंखो से नही देखा है। उसे घटना के बारे में सुशीला देवी (कथित पीड़िता एवं काण्ड की सूचिका) ने बताया था। अभियोजन साक्षी संख्या 2 मालती देवी ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसका घर आगे है एवं सुशीला देवी का घर पीछे है। घटना के बारे में उसे सुबह पता चला। सुशीला देवी की उम्र 75 वर्ष होगी। अभियोजन साक्षी संख्या 3 निर्मला**

देवी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2024 अर्थात घटना के अगले दिन सुशीला रो रही थी। वह सुशीला के घर गयी तो उसने सुशीला देवी को जख्मी हालत में देखा। सुशीला देवी ने उसे बताया कि सुमन झा ने बलात्कार किया है। सुशीला देवी उम्र में उससे 10–12 साल बड़ी होगी। उसकी (साक्षी की) उम्र लगभग 50 वर्ष है। अभियोजन साक्षी संख्या 5 कुसमा देवी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह सुशीला देवी की समधन है। गांव वालों ने उसे सूचित किया कि उसकी समधन के साथ सुमन झा ने बलात्कार किया है। वह अपनी बेटी काजल एवं उसकी बेटी की गोतनी के साथ बेटी के ससुराल बड़ाबांध आयी। समधन सुशीला देवी ने रोते हुये बताया कि सुमन झा ने 10 बजे रात्रि में गला दबाकर बलात्कार किया है। **इन अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उपरोक्त अभियोजन साक्षियों ने घटना अपनी आंखो से नही देखी है, अपितु घटना के बारे में उन्हें सूचिका सुशीला देवी, जो कथित पीड़िता है, ने बताया है। स्पष्ट है कि मामला सूचिका, जो कथित पीड़िता है, के साक्ष्य पर ही निर्भर है।** काण्ड की सूचिका, जो कथित पीड़िता है, जो अभियोजन साक्षी संख्या 4 के रूप में परीक्षित हुई है, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में साररूप से कथन किया है कि यह घटना करीब 1 साल पहले करीब 11 बजे रात्रि की है। उस समय वह अपने घर में अकेले सो रही थी तब **उसे पटक कर सुमन झा ने उसकी इज्जत ले ली और गला दबाया। जमीन पर पटक कर हाथ मरोड़ दिया।** इसके बाद उसे होश नही रहा। चमाईन चुप रहो, उसे करने दो। अगले दिन सुबह, जब उसे होश हुआ तो वह हल्ला करने लगी, तो लोग उसे खैरा अस्पताल ले गये, जहां उसे पांच बोतल पानी चढ़ा। उसने थाने पर लिखित आवेदन दिया। आवेदन पर उसके अंगूठे का निशान है। **प्रतिपरीक्षा (Cross Examination) में उसने कहा है कि उसकी उम्र 60–70 वर्ष होगी। उसे दो पुत्रों से तीन पोता एवं पोती है।** इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन चिकित्सक परीक्षित हुये है। डॉ0 स्वेता कुमारी सिंह, जो अभियोजन साक्षी संख्या 6 के रूप में परीक्षित हुई है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि ''उसने अपनी चिकित्सीय जांच में निम्न पायाः–

1- Lower lip swollen and blood clots seen over lips. Brusies present all around neck. No injury on external and internal genitila.

2- hymen ruptured.

3. Vaginal swab smear examination done by dr. Monika Ranjan Jha shows No Spermatozoa, no RBC, an epitheal cell seen.

डॉ नवल किशोर, अभियोजन साक्षी संख्या 7 के रूप में परीक्षित हुये, उन्होनें अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2024 को वह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खैरा में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदास्थापित थे तथा उसी दिन उसने सुशीला देवी की जांच की और चूंकि हेल्प सेन्टर में महिला चिकित्सक नही थी। अतः उसने पीड़िता को सदर अस्पताल जमुई रेफर किया। अपने जांच में निम्न पाया थाः–

1- **Abrasion on lower lip.**

2- Whole body pain.

3- Age of injury within 12 hours and can be caused by hard and blunt object.

तथा प्रतिपरीक्षण (Cross Examination) में कथन किया है कि यह Abrasion गिरने से भी हो सकता है। डॉ मोनिका रंजन झा, जो अभियोजन साक्षी संख्या 8 के रूप में परीक्षित हुई, उन्होनें अपने

साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2024 को वह सदर अस्पताल, जमुई में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदास्थापित थी तथा उसी दिन उसने सुशीला देवी की जांच की और अपने जांच में निम्न पायाः–

1- No spermatozoa found in any field of microscope.

2- No RBC found in any field of microscope.

3- An epithelial cell seen in any field.

तथा प्रतिपरीक्षण (Cross Examination) में कथन किया है कि **"My report is scientific, which proves that rape was not committed with lady Sushila Devi."** यहां मैं पुनः उल्लेख करना चाहता हूँ कि गैर सरकारी अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सुशीला देवी (कथित पीड़िता) ने उन्हें बतलाया है कि अभियुक्त सुमन झा ने उसके साथ बलात्कार किया है, **किंतु स्वयं कथित पीड़िता ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि सुमन झा ने उसकी इज्जत ले ली। मेरे विचार से इज्जत लेना एक स्पष्ट शब्द नहीं है तथा मेरे विचार से इस शब्द में वो सभी कृत्य आते हैं, जिनसे किसी महिला की लज्जा (Modesty) भंग होती है तथा इसमें बलात्कार भी आता है, किंतु चिकित्सीय साक्ष्य (Medical Evidence) एवं चिकित्सीय प्रतिवेदन (Medical Report) के अनुसार बलात्कार नहीं हुआ था,** किंतु कथित पीड़िता सुशीला देवी के शरीर में जख्म पाये गये थे तथा चिकित्सीय प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के अनुसार Lower lip swollen and blood clots seen over lips. Brusies present all around neck, जो मेरे विचार से प्राथमिकी के अनुरूप है। यहां उल्लेखनीय है कि बचाव साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार सूचिका साईकिल की टक्कर से जख्मी हुयी थी, किंतु मेरे विचार से कोई कारण नही है कि सूचिका, जो एक वृद्ध महिला है, के कथन पर अविश्वास किया जाये और चूंकि कथित पीड़िता ने अपने साक्ष्य में सिर्फ यह कहा है कि सुमन झा ने उसकी इज्जत ले ली तथा चिकित्सक के साक्ष्य के अनुसार बलात्कार नही हुआ था। अतः मेरे विचार से भा0द0वि0 की धारा 376 का आरोप सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं हो सका है, किंतु मेरे विचार से अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से प्राथमिकी का यह कथानक संदेह से परे साबित हुआ है कि दिनांक–14.03.2024 को रात्रि में सुमन झा, सूचिका सुशीला देवी के घर की चहार दिवाल फांदकर उसके घर में प्रवेश कर सूचिका गाली देते हुए उस पर हमला किया। मेरे विचार से इन साबित तथ्यों से अभियुक्त सुमन झा के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 451, 341, 323, 504 एवं 354 का आरोप सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है। यहां उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 के अनुसार, जो अपराध साबित हुआ है, वह आरोपित अपराध के अंतर्गत आता हो तो साबित अपराध के लिये दोष सिद्ध विधि सम्मत है। यहां उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 452, 341, 323, 504 एवं 376 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये इस मामले में आरोप का गठन हुआ था, किंतु मेरे विचार से अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा भा0द0वि0 की धारा 451, 341, 323, 504 एवं 354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का किया जाना सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित हो गया है। जहां तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) एवं 3(2)(Va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का प्रश्न है। मेरे विचार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नही हो सका है, क्योंकि अभिलेख में ऐसा कोई भी साक्ष्य नही आया है, जो यह साबित करे या दर्शित करे कि सुशीला देवी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की सदस्या है।

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **सुमन झा** को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w), 3(2)(Va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोष मुक्त (Acquital) किया जाता है तथा भा0द0वि0 की धारा 376 के स्थान पर भा0द0वि0 की धारा 354 एवं इसी प्रकार भा0द0वि0 की धारा 452 के स्थान पर धारा 451 तथा भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दोष सिद्ध (Convict) किया जाता है।

पीठ लिपिक (Bench clerk) को निर्देशित किया जाता है कि कल अर्थात दिनांक 02.04.2026 को सजा के बिंदु पर सुनवायी हेतु अभिलेख नियत करे।

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–01.04.2026

wepdcopy

सजा के बिंदु पर सुनवायी

दिनांकः–02.04.2026

अभिलेख सजा के बिन्दु पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुआ। सजा के बिंदु पर सभी पक्षों को सुना एवं इस परिपेक्ष्य में अभिलेख एवं परिवीक्षा पदाधिकारी (Probation officer) के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित पीड़िता 60–70 वर्षीय वृद्ध है तथा दोषी लगभग 24 वर्षीय है। दोषी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। दोषी बेरोजगार है। अतः दोषी को भा0द0वि0 की धारा 451 के लिये 1 वर्ष का कारावास तथा एक हजार रूपये का अर्थ दण्ड तथा अर्थ दण्ड ना अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त सादा कारावास भोगना होगा, भा0द0वि0 की धारा 341 के लिये 15 दिन का सादा कारावास, भा0द0वि0 की धारा 323 के लिये 6 माह का सादा कारावास, भा0द0वि0 की धारा 504 के लिये एक वर्ष का सादा कारावास एवं भा0द0वि0 की धारा 354 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के दो वर्ष एवं छः माह का कारावास और दो हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दी जाती है तथा यह अर्थदण्ड अदा ना किये जाने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त सादा कारावास भोगना होगा।

अर्थदण्ड के लिये दी गयी सजा को छोड़कर शेष सभी सजायें साथ–साथ चलेगी तथा विचारण के दौरान भोगे गये कारावास को इस दी गयी कारावास की सजा में समायोजित किया जाएगा।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–02.04.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–02.04.2026